

- स्वयं सहायता समूह के गठन, संचालन एवं अनुश्रवण आदि का दायित्व ग्रामीण आजीविका मिशन के विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- स्वयं सहायता समूह द्वारा भुगतान प्राप्त होने के 01 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार सम्बन्धित केयरटेकर के खाते में उनका मानदेय हस्तांतरित कर दिया जाये।
- जनपद स्तर पर सामुदायिक शौचालय के नियमित रूप से खुलवाने, उसकी साफ-सफाई एवं रख-रखाव की व्यवस्था, केयरटेकर्स की उपस्थिति एवं केयरटेकर्स के मानदेय ससमय भुगतान की समीक्षा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता समिति की बैठकों में किये जाने के निर्देश है।
- डी0सी0 (एन.आर.एल.एम.), जिन ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूह द्वारा सामुदायिक शौचालय के समय से खुलवाने, साफ-सफाई एवं रख-रखाव में कमी पाये जाने पर आवश्यकतानुसार उसी स्वयं सहायता समूह के अन्य केयरटेकर का या किसी अन्य स्वयं सहायता समूह का चयन किये जाने के लिये उत्तरदायी बनाये गये है।
- समूह से केयरटेकर को भुगतान न होने की दशा में इसका पूर्ण दायित्व, उपायुक्त(एन.आर.एल.एम.) का होगा एवं उन दोनों परिस्थितियों में विलम्ब होने पर जनपद स्तर पर जनपद स्तरीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

Filename: Document3
Directory:
Template: C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Acer
Keywords:
Comments:
Creation Date: 1/17/2026 4:16:00 PM
Change Number: 1
Last Saved On:
Last Saved By:
Total Editing Time: 18 Minutes
Last Printed On: 1/17/2026 4:34:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 1
Number of Words: 153 (approx.)
Number of Characters: 873 (approx.)